

मै0 राजकोटी मार्झन्स एण्ड मिनरल्स रामणी इण्डिया प्रा0 लि0, ग्राम रामणी, तहसील घाट, जनपद चमोली में सोपस्टोन के खनन के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 12.06.2023, समय 11.00 बजे, स्थल ग्राम—रामनी, तहसील घाट
जनपद चमोली का कार्यवृत्त।

मै0 राजकोटी मार्झन्स एण्ड मिनरल्स रामणी इण्डिया प्रा0 लि0 ग्राम—रामणी तहसील घाट, जनपद चमोली में सोप स्टोन के खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) व अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) में दिनांक 07.05.2023 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। (संलग्नक—1)

जिलाधिकारी महोदय, चमोली द्वारा नामित डा0 अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिला अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में दिनांक 12.06.2023 को प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नकानुसार रही। (संलग्नक—2) इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ईको लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्सी प्रा0 लि0 मोहाली के द्वारा बनायी गई ई0आई0ए0 रिपोर्ट पर परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका सांरांश निम्नानुसार है—

- प्रस्तावित परियोजना स्थल ग्राम रामनी, तहसील घाट, जिला चमोली स्थल के भौगोलिक निर्देशांक $30^{\circ} 19'24.42"N$ से $30^{\circ}19'22.82"N$ उत्तर देशान्तर $79^{\circ} 50'51.82"E$ से $79^{\circ}30'12.43"E$ पूर्व है।
- मै0 राजकोटी मार्झन्स एण्ड मिनरल्स रामणी इण्डिया प्रा0 लि0 के पक्ष में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्र संख्या—1042 / VII-A-1/2021/01(12)/21 दिनांक 02.09.2021 द्वारा सोपस्टोन हेतु 25 वर्ष का आशय पत्र स्वीकृत किया गया।
- प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 4.888 है0 है, जिसमें अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रथम पांच वर्ष तक कुल 12,272 टन अनुमानित मात्रा में उत्पादन किया जाना है। अधिकतम 46,712 टन सोप स्टोन उत्पादन का लक्ष्य है। परियोजना की कुल लागत रु0 35 लाख प्रस्तावित है।
- प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना—2006 यथा संशोधित 2009, 2011, 2012 तथा 2019 के अनुसार मुख्यतः बी0 2 श्रेणी के प्रोजेक्ट हैं, परन्तु माननीय

२५८

। ✓

हरित प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आदेशों के कम में प्रोजेक्ट बी 1 श्रेणी में आ चुका है, जिस सम्बन्ध में SEIAA द्वारा ToR, 22 फरवरी, 2023 को जारी किया गया।

5. प्रस्तावित परियोजना में कुल जल खपत 4.0 कोएल0डी0 पीने तथा धूल नियंत्रण हेतु वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना से लगभग 47 व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा।
6. प्रस्ताव में बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के 10 किमी0 त्रिज्या में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी/वन्य जीव गलियारा नहीं है। नजदीकी नदी नन्दाकनी 7.7 किमी0 SSW Direction है।
7. प्रस्तावित खदान का माइनिंग प्लान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड के द्वारा स्वीकृत किया गया है। माइन्स में कार्य करने हेतु सेमी मेकेनाईज्ड की पद्धति से कार्य किया जायेगा। 6.0 मीटर उंची व 8.0 मीटर चौड़ी बैंच का निर्माण किया जायेगा। उपरी सतह से निकाली मिट्टी को डंप यार्ड में रखा जायेगा। खदान में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित खदान में बेस लाइन डाटा का कार्य मानसून पूर्व काल में किया जायेगा।
8. प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई व 2–3 मीटर चौड़ाई तक खनन किया जायेगा। खनन कार्य के उपरान्त उक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा और खनन कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा खनन कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री भुवन जोशी (Eco Laboratories and Consultants Pvt. Ltd. Mohali) द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट के मद में ₹0 20.47 लाख का व सामाजिक सांस्कृति और स्वास्थ्य की मद में ₹0 3.50 लाख प्राविधान किया गया है जिसका उपयोग रास्तों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण, पेयजल, स्वास्थ्य आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के सम्बन्ध सभा में जन समुदाय को उनके सुझाव एवं आपत्तियां लिखित एवं मौखिक रूप से आमन्त्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है—

1. श्री भगवती प्रसाद मन्दोली, निवासी रामणी द्वारा कहा गया कि खनन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है और कहा गया स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। साथ ही उनके द्वारा खनन कार्य से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु सघन

415
h

प्रयास किये जाए। इस पर परियोजना प्रबन्धक के द्वारा कहा गया कि पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु अलग से बजट का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु माइन पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जायेगा, जिससे धूल कण नियंत्रण में रहें।

2. श्री सूरज सिंह (ग्राम प्रधान, रामणी) द्वारा कहा गया कि खनन कार्य के दौरान ग्रामीण सड़कों को क्षति न पहुंचे। वायु प्रदूषण और घोड़े-खच्चरों से होने वाले यातायात पर नियंत्रण रखा जाये। परियोजना प्रबन्धक के द्वारा व्यक्त किया गया कि खनन का कार्य दिन के समय ही किया जाना है व समय-समय पर सड़क की मरम्मत का कार्य किया जायेगा, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि माइनिंग प्लान में स्पष्ट होना चाहिए कि माइनिंग के दौरान कोई स्लाइडिंग होती है, तो उसका मुआवजा भी प्रभावित को मिलना चाहिए। खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।
3. श्री रमेश सिंह, निवासी ग्राम रामणी द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये व घोड़े-खच्चरों से होने वाले यातायात पर नियंत्रण रखा जाये तथा खनन से जनित कच्चे माल के परिवहन हेतु वैकल्पित मार्गों की व्यवस्था की जाये, जिससे ग्रामीण सड़के क्षतिग्रस्त न हों तथा स्थानीय जल स्रोतों को सुरक्षित रखा जाये।
4. श्रीमती सती देवी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) ग्राम रामणी द्वारा कहा गया कि खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये तथा खनन कार्य से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या प्रयास किये जायेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में वायु प्रदूषण न हो। इस पर परियोजना प्रबन्धक के द्वारा कहा गया कि खनन कार्य के दौरान वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु माइन पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जायेगा, जिससे धूल कण नियंत्रण में रहें। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा एवं भूमि कटान को रोकने हेतु वृक्षारोपण किया जायेगा।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, निवासी ग्राम रामणी द्वारा कहा गया कि खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाय। जिन लोगों की भूमि खनन कार्य हेतु ली गई है, व खनन का संचालन होने के दौरान सड़कों को होने वाले नुकसान, पानी की पाइप लाइन व फलदार वृक्षों के संरक्षण हेतु क्या कार्य योजना अपनायी गई है? इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खदान में पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु

File

17

अलग से पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम वर्ष में ₹0 7.87 लाख बजट का प्राविधान रखा गया है, जिसको पर्यावरण संरक्षण के अलग-अलग मदों में खर्च किया जाना है।

6. श्री राजेन्द्र, निवासी ग्राम रामणी द्वारा कहा गया कि खनन कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों के रखरखाव के साथ-साथ खनन क्षेत्र से बाहर अन्य ग्रामीण सड़कों का भी नियमित रूप से रखरखाव एवं निर्माण किया जाये।
 7. श्री गजनी राम, निवासी ग्राम रामणी द्वारा कहा गया कि खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाय, जिन लोगों की भूमि खनन कार्य हेतु ली गई है, उनके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न न किया जाये।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सामान्य को पुनः अपनी बात लिखित व मौखिक रूप से रखने को कहा गया, जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा बात लिखित एवं मौखिक रूप से नहीं रखी गयी। उपरोक्त जन समुदाय की आपत्तियों एवं सुझावों को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया तथा जन सुनवाई की फोटाग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करायी गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि खदान संचालकों को नियमों का अनुपालन न करने पर ग्रामवासियों के द्वारा सक्षम स्तर पर शिकायत की जा सकती है। अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नक—

1. फोटो— 03 प्रतियां
 2. डी०वीडी०— 03 प्रतियां
 3. उपस्थिति पंजिका— 03 प्रतियां

(राक्षश कण्डारी)
सहा०पर्या०अभियन्ता
यू०ई०पी०पी०सी०बी०
देहरादून

Fit
(डा० आर०के० चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
यू०ई०पी०सी०बी०
देहरादून

(४०३).७.२०११
(डा० अभिष्क त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी
चमोली

Date: 12/06/2023

M/S Rajkoti Mines & Minerals Ramni (P) LTD

Vill - Ramni, Tehsil - Chhat, Dist - Chamoli का

400 दूर स्थित हमारी कंपनी का नाम है
जो भूमि पर्यावरण के लिए जाना जाता है।

12.6.2023 के दृष्टिकोण से आपको यह बताया जाएगा।

विशेषज्ञ और अनुभवी वर्ग में से एक हैं।

संग्रहीत

कृष्ण हुला - 117 नं. निर्माण
दौड़ छापांग फॉन्डी

	नाम	प्रकार
1	ST. 302 के. द्वारा 543101582	स्टीयर इंजिनीर, UKPCB File
2	रामेश कुमार 9411727875	स्टीयर इंजिनीर, UKPCB
3.	STO द्वारा इकाई मास - 8192002327	स्टीयर इंजिनीर
4.	Mukesh Kumar	8923428615
5.	द्वारा द्वारा	7055903926
6.	द्वारा द्वारा	8059636394
7.	द्वारा द्वारा	8449021928
8.	द्वारा द्वारा	07618562997
9	द्वारा द्वारा	9917191847
10	द्वारा द्वारा	9917464297
11	द्वारा द्वारा	9961420662792
12	द्वारा द्वारा	9961420662792
13	द्वारा द्वारा	9961420662792
14	द्वारा द्वारा	9961420662792
15	द्वारा द्वारा	9961420662792
16	द्वारा द्वारा	9961420662792
17	द्वारा द्वारा	9961420662792
18	द्वारा द्वारा	9961420662792
19	द्वारा द्वारा	9961420662792

Date: / /

	नाम	प्रमाण पत्र	ठांग नंबर
19	रमेश कुमार	Smt. Kavita	8958593966
20	मोदी लिंग		8193011519
21	मनोज कुमार		8475921715
22			१०९४
23	कुमार लिंग	7219244547	ज्ञानराज
24	कुलाल लिंग		१०९५
25	कुलार लिंग	7500367817	केवल सिंह
26	सवर लिंग		सवर सिंह
27	गोवाल लाल		गोपन
28	कलीलाल		१०९६
29	B. Chawat	BN	
30	कुडीलाल		१०९७
31	मदनी राम		१०९८
32	द्यामु द्यामु		१०९९
33	द्यामु द्यामु	9927304278	१०१
34	द्यामु द्यामु		-१०१
35	द्यामु द्यामु		१०११
36	द्यामु द्यामु		१०१२
37	द्यामु द्यामु	9639036392	द्यामु द्यामु
38	द्यामु द्यामु	9917082664	१०१३
39	बाल कुमार		बाल कुमार
40	कुवर पद्मान	7351866058	१०१४
41	द्यामु द्यामु	7707959844	१०१५
42	जलपाललाल	7248310972	जलपाललाल
43	मरवन सम	8449257376	१०१६
44	द्यामु द्यामु		- द्यामु द्यामु
45	द्यामु द्यामु	7055395222	- द्यामु द्यामु
46	द्यामु द्यामु	07017412890	१०१७

126-23